न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1947–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–9–2015 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला धार प्रकरण कमांक 1/रिव्यु/2014–15.

....

असलम शाह पिता अब्बूशाह जाति फकीर,
निवासी ग्राम खेडा तहसील बदनावर जिला धार

.... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

.... अनावेदक

....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–आवेदक

श्री राजीव गौतम, अभिभाषक–अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 15/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–9–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर के समक्ष अपने पूर्व अधिकारी के आदेश दिनांक 6–12–1993 के पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा दिनांक 8–9–15 को आदेश पारित कर आदेश दिनांक 6–12–1993 के पुनर्विलोकन की

अनुमति प्रदान की गई । कलेक्टर जिला धार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पुनर्विलोकन की अनुमति में दूसरे पक्ष को सुनना आवश्यक है । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि पूर्व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार रहित आदेश पारित किया गया है, इसलिये कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निगरानी कलेक्टर जिला धार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8–9–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–12–1983 को पुनर्विलोकन में लेने की अनुमति प्रदान की गई है । उक्त आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 4–4–2016 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, इस कारण यह निगरानी निरर्थक हो जाने के कारण निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर